आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या –70 / 2023

अल्पना कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
27.02.2023	यह अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 8896/2019 में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के समादेश में अंकित है कि :– ***"Learned counsel for the State submits that the petitioner has remedy under the guidlines for selection of 'Anganwari Sevika' by challenging the order of the District Programme Officer, Muzaffarpur, before the appropriate Appellate Authority.*** ***With liberty to assail the order dated 24-01-2019 passed by the District Programme Officer, Muzaffarpur, in accordance with law, the writ application is disposed of."*** आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदिका का चयन आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका 2011 से हुआ है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बताया की इस वाद को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। उल्लेखनीय है कि समेकित बाल विकास सेवाएं	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	(आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि *"जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलो में लागु होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।"* मार्गदर्शिका 2011 में जिला पदाधिकारी को सुनवाई एवं आयुक्त को अपील सुनने की अधिकारिता प्रदान की गई है। परन्तु प्रश्नगत वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसको सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर खारिज किया जाता है तथा आवेदिका को विभागीय पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के समक्ष वाद दायर करने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL